भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2775
उत्तर देने की तारीख-07/08/2023

पीएम- यूएसपी सीएसएसएस के अंतर्गत मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता

†2775. श्री सी. आर. पाटिल:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री अनुराग शर्माः
श्री संगम लाल गुप्ताः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना (पीएम-यूएसपी सीएसएसएस) के अंतर्गत उन मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के पश्चात् दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 तक विशेषकर बालिकाओं को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों से उक्त योजना के कुल लाभार्थियों के आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार की महानगरों में पढ़ने वाले छात्रों के खर्चों को ध्यान में रखते हुए स्नातक स्तर पर छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि करने की योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय नियमित डिग्री पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत (पीएम-यूएसपी-सीएसएसएस) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले छह वर्षों के दौरानइस योजना के तहत प्रदान की गयी छात्रवृत्ति और छात्राओं को प्रदान की गई छात्रवृत्ति का विवरण https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखा जा सकता है।

(घ) पिछले 6 वर्षों के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों से उक्त योजना के लाभार्थियों का विवरण https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखा जा सकता है।

(ङ) जी, हाँ। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से, योजना के तहत प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति राशि कॉलेज और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए 10000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। पाठ्यक्रम के चौथे और पांचवें वर्ष के लिए छात्रवृत्ति राशि 20000 रुपये प्रति वर्ष है।

***

अनुलग्नक

'पीएम-यूएसपी सीएसएसएस के तहत मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता' के संबंध मेंमाननीय संसद सदस्यों श्री सी.आर. पाटिल, श्री प्रताप चंद्र सारंगी, डॉ. रमापति राम त्रिपाठी, श्री पी.पी. चौधरी, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री अनुराग शर्मा, श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा दिनांक 07.08.2023 को पूछा गया लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2775 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(क) से (ग) पिछले छह वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (पीएम-यूएसपी सीएसएसएस) के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना महिलाओं और पुरुष छात्रों के लिए अलग-अलग प्रदान की गई छात्रवृत्ति का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	छात्रवृत्ति की संख्या (ताजा + नवीनीकरण)		
		महिला	पुरुष	कुल
1	2017-18	68815	59712	128527
2	2018-19	60995	49686	110681
3	2019-20	84776	63751	148527
4	2020-21	86991	68016	155007
5	2021-22	103769	73846	177615
6	2022-23	109778	70297	180075

(घ) **पिछले** 6 **वर्षों के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों से उक्त योजना के लाभार्थियों का विवरण**

क्र.सं.	राज्य/बोर्ड	छात्रवृत्ति की संख्या (ताजा + नवीनीकरण))					
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	गुजरात	5173	4509	9038	8647	7743	15233
2	मध्य प्रदेश	14443	9557	11798	12631	17066	16463
3	ओडिशा	3326	3795	5664	7426	7285	5527
4	राजस्थान	8372	2240	5460	6121	9851	7038
5	उत्तर प्रदेश	9290	5286	7263	11223	12765	15385